POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2024/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अप्रेल, 2024 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! आज-कल शहरी ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिस्किट बहुत से लोगों के अल्पाहार का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। अब ये बच्चों व युवा पीढ़ी के पारंपरिक भोजन की जगह तक ले रहे हैं। इसलिए इनकी पोषण सामग्री और विज्ञापन की सटीकता की जांच बहुत आवश्यक हो जाती है। यह जांच व्यक्तिगत स्वास्थ्य और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है।

देखा जा रहा है, प्रौद्योगिकी में नवाचार और स्वस्थ विकल्पों की बढ़ती मांग जैसे कारक बिस्किट बाजार की वृद्धि में योगदान कर रहे हैं। स्वाद, पैकेजिंग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक विकल्प का दावा उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है। भारत में शहरीकरण ने इस बाजार को आगे बढ़ाया है। जबकि साधारण ही नहीं बल्कि लोकप्रिय बिस्किट ब्रांडों के तत्वों का विश्लेषण करने से कई चिंताजनक परिणाम सामने आए हैं।

आमतौर पर सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माने जाने वाले बिस्किट ब्रांडों में से कोई भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय मानकों को पूरा नहीं करता। विभिन्न प्रकार के बिस्किट ब्रांडों में ये दोष व्यापक रूप से व्याप्त हैं और प्राप्त निष्कर्ष संभावित दीर्घ-कालीन स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करते हैं। लगभग सभी जांचे गए बिस्किट ब्रांडों में अनुशंसित स्तर से अधिक चीनी, सोडियम, वसा और अन्य सामग्री दिखाई देती है।

ऐसी सामग्री का लगातार सेवन मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा और दंत समस्याओं सहित जीवन शैली से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अत्यधिक जोखिम पैदा करता है। बिस्किट आपके या बच्चे के स्वास्थ्य के लिए चमत्कार नहीं करेगा। कभी-कभी और कम मात्रा में इनका सेवन किया जाता है तो ये आमतौर पर किसी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि बिस्किट कभी भी उचित भोजन की जगह नहीं ले सकते और पोषण के मामले में उतने फायदेमंद नहीं है, जितने दावे किए जाते हैं।

जरूरी है पैकेट पर सरल और स्पष्ट लेबल

बिस्किट: जितने दावे किए जाते हैं, उतने फायदेमंद नहीं

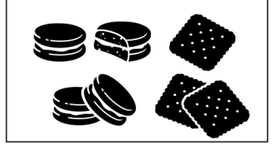

अब तक मिले निष्कर्षों से विशेषज्ञों की राय है कि सभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर लगे पैक चेतावनी लेबल पर स्पष्ट और सटीक पोषण संबंधी जानकारी तत्काल आवश्यक है। ये लेबल भाषा और साक्षरता बाधाओं को पार करते हुए अत्यन्त सरल होने चाहिए, जिससे हर वर्ग के उपभोक्ता मौजूद पोषण सामग्री को तुरंत समझ सकें। इससे न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा होगी, बल्कि स्वस्थ आहार आदतों में बदलाव को भी बढ़ावा मिलता है।

नया नियम: प्रति इकाई बिक्री मूल्य लिखना होगा
डिब्बाबंद उत्पादों पर उत्पादन की तारीख लिखना अनिवार्य

अब पैकेज्ड प्रोडक्ट यानी डिब्बाबंद उत्पादों पर उत्पादन की तारीख और उसकी प्रति यूनिट कीमत लिखी हुई मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि सभी डिब्बाबद जिसों पर मैन्यूफैक्चरिंग की तारीख और प्रति इकाई बिक्री मूल्य 1 जनवरी 2024 से लिखना अनिवार्य हो गया है। पहले कंपनियों को डिब्बाबंद उत्पादों पर उत्पादन की तारीख या आयात या पैकेजिंग की तारीख प्रकाशित करने का विकल्प था।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार डिब्बाबंद उत्पादों पर कंपनियों को अब उत्पाद की 'प्रति यूनिट बिक्री मूल्य' के साथ 'उत्पादन की तारीख' प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। ताकि उपभोक्ता एक सूचित निर्णय ले सके और करों का भुगतान करने के बाद उत्पाद खरीद सके।

रोहित कुमार ने कहा कि इन नियमों के बाद ग्राहक सोच-विचार कर वस्तु खरीद सकेंगे। मैन्यूफैक्चरिंग की तारीख प्रकाशित होने से ग्राहकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि पैक की गई वस्तु कितनी पुरानी है। उदाहरण के लिए 2.5 किलोग्राम के पैकेटबंद गेहूं के आटे में एमआरपी के साथ प्रति किलो बिक्री मूल्य लिखना होगा। वहीं एक किलो से कम मात्रा वाले उत्पाद के पैकेट पर एमआरपी के साथ प्रति ग्राम बिक्री मूल्य भी लिखना होगा।

कहां गई हरियाली, पौधे कहां बंटे?

प्रदेश में कांग्रेस सरकार की 'घर-घर औषधी योजना' सवालों के घेरे में आ चुकी है। वन मंत्री संजय शर्मा ने विभाग की पहली बैठक में इस योजना की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत घर-घर औषधि के पौधे बांटे जाने थे।

मंत्री ने बैठक में कहा पौधे कहां बंटे? मेरे घर तो नहीं आए। कई अफसरों ने भी हामी भरी हमारे घर भी नहीं पहुंचे।

इस पर मंत्री ने पूरा ब्योरा मांगा है और जांच कराने को कहा है। उन्होंने ग्राम सुरक्षा वन समितियों के जरिए हो रही गड़बड़ी पर भी सवाल उठाए और उनके गठन, चुनाव आदि को लेकर भी जानकारी मांगी। गौरतलब यह है कि 208 करोड़ रुपए की योजना चार साल के लिए बनी, पर डेढ़ साल ही चली। हर साल 52 करोड़ रुपए खर्च होने थे।

फार्म पौण्ड बनाने पर मिलेगा अनुदान

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर के कारण खेती-किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है। सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए खेतों में फार्म पौण्ड बनाने पर सरकार किसानों को एक लाख 35 हजार रुपए तक का अनुदान देगी।

इन फार्म पौण्ड में सिंचाई के लिए बारिश का पानी संचय किया जा सकेगा। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमान्त किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73 हजार 500 रुपए, कच्चे फार्म पौण्ड पर 90 प्रतिशत या एक लाख 35 हजार रुपए प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर अनुदान दिया जाता है।

अत्यधिक गरीबी खत्म होने के कगार पर

भारत में अत्यधिक गरीबी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। इसका खुलासा 'द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक' की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में अब 3.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की सीमा में बचे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक है।

माना गया है कि सरकार की नीतियां कारगर होने से गरीबी घट रही है। इससे पहले नीति आयोग भी कह चुका है कि देश में अत्यधिक गरीबी में तेजी से गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 में अत्यधिक गरीबों की संख्या 29.17 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घटकर मात्र 11.28 प्रतिशत रह गई है। इन 9 साल में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी भारत में गरीबी कम होने की बात कही गई है।

ग्रामीण सड़कों का होगा नवीनीकरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश की 883 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण होगा। इस योजना के तहत 297 सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 120 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति जारी हुई है। पीडब्लूडी द्वारा इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में पीएम ग्राम सड़क योजना में उत्कृष्ट एवं गुणात्मक कार्य के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि जारी की गई थी। इस राशि से ग्रामीण सड़कों का विकास होगा जिससे ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

किसानों के हित में कृषि बजट

प्रदेश में कृषि विकास एवं किसानों के कल्याण से संबंधित विकास योजनाओं के लिए लेखानुदान में बजट एक हजार करोड़ बढ़ाया गया है। इससे इस बार कृषि बजट 90 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। साथ ही अलग से कृषि बजट की परम्परा को भी जारी रखा गया है।

लेखानुदान के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मिलने वाले 6000 रुपए के अतिरिक्त दो हजार रुपए और देने का प्रावधान किया है। हालांकि भाजपा के संकल्प पत्र में इस राशि को 6 हजार रुपए के बजाय 12 हजार रुपए करने का प्रावधान है।

विकास के साथ रखें प्रकृति का ख्याल

हर नागरिक अपना कर्तव्य पूरा कर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे जो आत्म अनुभूति होगी वही हमारा सच्चा पुरस्कार है।

विकास के साथ पृथ्वी और प्रकृति का भी ख्याल रखना होगा। वृक्ष, नदी, पर्वत और जीव-जन्तुओं से रिश्ता बना कर इनका संरक्षण करना होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बात रखी। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमें मानव विकास के लिए पर्यावरण व प्रकृति के साथ सामंजस्य व संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। राज्य सरकार पं.दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए कार्य कर रही है।

भ्रष्टाचार-घूस लोकतंत्र के लिए खतरा

सुप्रीम कोर्ट ने 'वोट के बदले नोट' मामले में अहम फैसला सुनाया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि सांसद और विधायक रिश्वत के मामले में मुकदमें में छूट नहीं पा सकते। अगर वे संसद और विधानसभाओं में अपने भाषणों या वोट के बदले रिश्वत लेते हैं तो उन पर मुकदमा चलना चाहिए।

संविधान पीठ ने कहा कि ऐसे आपराधिक मामले में उन्हें विशेषाधिकार के तहत कोई कानूनी संरक्षण हासिल नहीं होगा। ईमानदारी से काम की आजादी है, भ्रष्टाचार करने की नहीं। अगर सांसद या विधायक सदन में वोट देने या सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेते हैं तो यह लोकतंत्र पर प्रहार है। इस फैसले ने दलों को एक ऐसा हथियार दे दिया है जो धोखा देने और बागी बनने वाले सदस्यों को सबक सिखाने में मदद करेगा।

ड्रोन से खेतों में बीज बोएंगी महिलाएं

प्रदेश में भी नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत महिला कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब महिलाएं हाईटेक खेती में कदम रखेंगी। हाड़ौती में 104 महिलाओं का चयन 'नमो ड्रोन दीदी' योजना में किया गया है, जो खेतों में ड्रोन उड़ाएंगी और दवा स्प्रे से लेकर बीजों की बुआई भी करेंगी।

प्रदेश में इस योजना की शुरुआत कोटा जिले से होगी। इसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इस योजना के लिए प्रदेश में खेती का प्रशिक्षण देने के लिए पांच कंपनियों को जिम्मा दिया गया है। इस योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, दक्षता और रोजगार में बढ़ोतरी होगी।

गांवों तक पहुंचेगा पर्याप्त पेयजल

प्रत्येक गांव-ढाणी और कस्बे को पेयजल व सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जलापूर्ति के लिए राज्य सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है।

बूंदी जिले में जल जीवन मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना (विस्तार चम्बल भीलवाड़ा परियोजना) के लोकार्पण समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्वती कालीसिंध चम्बल परियोजना के मुख्य घटक नवनेरा बैराज का कार्य एक महीने में पूरा कर इसमें जल संग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस परियोजना पर 76.69 करोड़ रुपए खर्च आएगा।

घरों की छत पर लगेंगे सोलर पैनल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के तीन जिले जयपुर, जोधपुर व सीकर को चिन्हित किया गया है। योजना के तहत गरीब या मध्य वर्ग के घरों की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इन जिलों में तीन हजार रूफटॉप सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे।

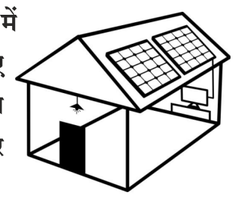

डिस्कॉम के अधिकारियों ने योजना को मूर्तरूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के अनुसार जयपुर, जोधपुर और सीकर में एक-एक हजार नए रूफटॉप सोलर कनेक्शन लगाए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने भी रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए कई नए प्रावधान किए हैं। गौरतलब है, इस योजना के तहत देशभर में एक करोड़ रूफटॉप सोलर कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

अस्पताल को भारी पड़ी ऑपरेशन में लापरवाही

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय) में चाकसू निवासी लाला राम ने घीया अस्पताल व प्रबंधन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि उसने घीया अस्पताल में अपनी पत्नी सायर को डिलेवरी के लिए भर्ती कराया था। इसके लिए 14 हजार रुपए भी जमा कराए थे। लेकिन अस्पताल ने बिना सिजेरियन डिलेवरी की जरूरत के ही ऑपरेशन कर दिया और इसमें गंभीर लापरवाही बरतते हुए बच्चेदानी को काट दिया। इससे काफी रक्तस्त्राव हुआ और हालत गंभीर हो गई। अस्पताल ने परिजनों से इसे छिपाए रखा और हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे महिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जहां रक्तस्त्राव के चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई। मामले की सुनवाई पर अस्पताल की ओर से दलील दी गई कि परिवादी आपातकालीन परिस्थिति में अपनी पत्नी को लेकर आया था और उन्होंने सही व उचित इलाज किया था।

उपभोक्ता आयोग ने माना कि अस्पताल ने गंभीर लापरवाही बरतते हुए बच्चेदानी को चीरा लगाया। इससे अत्यधिक रक्तस्त्राव के चलते प्रसूता की मौत हुई है। आयोग ने घीया अस्पताल और प्रबंधन को दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वह लाला राम को 15 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि नौ फीसदी ब्याज सहित दें। साथ ही परिवाद खर्च के दस हजार रुपए अलग से अदा करें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस' जयपुर